

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश

8, अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल

क्रमांक/एनएचएम/आशा/2015/

भोपाल, दिनांक...../2015

प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
समस्त जिले, मप्र।

विषय – वर्ष 2015–16 में आशा चयन हेतु दिशा निर्देश ।

आशा –

1. चयन –

उपर्युक्त विषयांतर्गत लेख है कि आशा चयन हेतु दिसम्बर 2012 तक वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में 58862 आशा का चयन किया जा चुका है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में 55336 गांव है। इन सभी में आशा का चयन किया जाना है। वर्ष 2015–16 की वार्षिक कार्ययोजना में कुल 60105 आशा चयन का लक्ष्य है। अतः इस वर्ष शेष 1243 नयी आशा का चयन किया जाना है। आशा सहयोगी के चयन उपलक्ष्य में रिक्त स्थान तथा निष्क्रिय आशा के स्थान पर आशा चयन किया जाना है। आदेश क्रमांक एनआरएचएम/आशा/12, भोपाल दिनांक 19/02/2010 के अनुसार आशा चयन हेतु निम्न मापदंडों का पालन किया जाना अनिवार्य है –

● चयन के मापदण्ड निम्नानुसार प्रस्तावित है –

1. 200 से 2000 की जनसंख्या पर एक आशा।

2. 2000 से अधिक की जनसंख्या वाले गांव में प्रत्येक 1000 की जनसंख्या पर एक आशा चयनित की जाये।

3. 50 हजार से अधिक की आबाधी पर शहरी आशा और उससे कम आबादी पर आशा का चयन किया जाना है।

● चिन्हित गांव की निवासी महिला होनी चाहिए – विवाहित/विधवा/ तलाकशुदा / अलग रह रही, महिला आशा हो सकती है।

● महिला की आयु सीमा 25 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

● समान योग्यता वाली दो महिलाओं का आवेदन आने पर कम उम्र की महिला को प्राथमिकता दी जायेगी।

● यदि क्षेत्र में इस योग्यता वाली कोई उपयुक्त महिला नहीं है, तो इस स्थिति में शैक्षणिक और आयु संबंधी मानदण्डों में ढील दी जा सकती है।

● न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आठवीं पास है। यदि आठवीं पास महिला न मिले तो पांचवीं पास महिला का चयन किया जा सकता है।

● अधिकतम शैक्षणिक योग्यता वाली महिला का चयन प्राथमिकता पर किया जाये।

● आशा बनने वाली महिला में प्रभावी संचार कौशल, नैतृत्व गुण होने चाहिए और वह समुदाय तक पहुंचने में सक्षम होनी चाहिए।

● यदि किसी गांव में 50 प्रतिशत से अधिक आदिवासी/अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति की जनसंख्या वाले गांव में संबंधित समुदाय की महिला का चयन प्राथमिकता पर किया जाये।

➤ आशा चयन की प्रक्रिया–

● गांव में जहां आशा चयनित नहीं है, आशा निष्क्रिय है या आशा पद से हटा दी गई है, उस गांव के बारे में लिखित सूचना संबंधित पंचायत एवं ग्राम सभा स्वास्थ्य ग्राम तदर्थ समिति में दी जाये।

● एमजीसीए सदस्य, एएनएम, एमपीडब्ल्यू, आशा सहयोगी द्वारा समन्वय के साथ संबंधित गांव में ग्राम सभा का आयोजन किया जाये।

● ग्राम सभा में कम से कम तीन नाम प्रस्तावित किये जायें। सर्वसम्मति अथवा बहुमत से ग्राम सभा में वरीयता क्रम में तीन नामों का चयन किया जाये उसके आधार पर खण्ड चिकित्सा अधिकारी द्वारा एक आशा का

चयन उस ग्राम के लिये किया जाये। यह पूरी प्रक्रिया ब्लॉक कम्युनिटी मोबिलाइजर की देखरेख में कराई जाये।

➤ **निष्क्रिय आशा, हटाई गई आशा अथवा रिक्त स्थान पर पुनः आशा चयन की प्रक्रिया—**

- आशा के ग्राम छोड़कर अन्य स्थान पर निवास हेतु चले जाने, किसी अन्य लाभ के पद पर चयन होने, आशा द्वारा भ्रष्टाचार किये जाने अथवा आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होने, पागल होने अथवा मृत्यु हो जाने पर आशा का पद रिक्त माना जायेगा।
 - गांव में आशा के पद रिक्त होने पर आशा चयन प्रक्रिया प्रारंभ की जावेगी।
 - प्रत्येक आशा का डाटाबेस एवं प्रतिमाह की गई गतिविधियों की जानकारी वेबसाइट <http://www.asha.mp.gov.in> पर प्रतिमाह आवश्यक रूप से दर्ज कराये।
 - वेबसाइट के माध्यम से प्रत्येक माह प्रत्येक आशा का परफारमेन्स अप्रैजल किया जा सकेगा।
 - आशा के 11 कार्यों में से यदि 03 माह तक 05 से कम कार्य आशा द्वारा किये जाते हैं तो उसे निष्क्रिय आशा माना जा सकेगा।
 - निष्क्रिय आशा की पहचान होने पर उसे सुधार हेतु लिखित में सूचना दी जावेगी। संबंधित ग्राम सभा स्वस्थ ग्राम तदर्थ समिति को भी लिखित में सूचना दी जावेगी। प्रयास किया जायेगा कि आशा की निष्क्रियता के कारण को दूर किया जा सके। पत्र देने के बाद 03 माह तक आशा के कार्यों का पुनः मूल्यांकन किया जायेगा।
 - यदि पत्र प्राप्ति के 03 माह पश्चात भी सतत प्रयास के बावजूद आशा के कार्य में प्रगति नहीं आती है तो उसे हटाने के लिये ग्राम सभा के समक्ष प्रस्ताव भेजा जायेगा।
 - जिला/ब्लॉक एम.जी.सी.ए. सदस्य, ए.एन.एम., आशा सहयोगी तथा सेक्टर प्रभारी ग्राम सभा आयोजित करने में प्रमुख भूमिका निभायेंगे। खण्ड चिकित्सा अधिकारी एवं ब्लॉक कम्युनिटी मोबिलाइजर आशा चयन हेतु भागीदारी सुनिश्चित किया जाना प्रस्तावित है।
 - ग्राम सभा की बैठक में जिला/ब्लॉक एम.जी.सी.ए. सदस्य, ए.एन.एम., आशा सहयोगी, ब्लॉक कम्युनिटी मोबिलाइजर तथा सेक्टर प्रभारी में से कम से कम 02 सदस्य/व्यक्ति उपस्थित रहेंगे।
- 50 हजार से कम आबादी वाले नगरीय क्षेत्र में भी ग्रामीण आशा का चयन किया जाना है। इन क्षेत्रों में आशा चयन शहरी आशा चयन मापदण्ड के अनुसार किया जाना है तथा प्रोत्साहन राशि, प्रशिक्षण एवं अन्य सुविधायें ग्रामीण आशाओं की तरह दिया जाना सुनिश्चित करें। ग्रामीण आशा की तरह ही बीसीएम एवं डीसीएम इन आशाओं का सपोर्टिव सुपरवीजन करेंगे।**

(फैज अहमद किदवई)

मिशन संचालक, एन.एच.एम.
मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक/आशा/एन. एच.एम/2015/

भोपाल, दिनांक...../2015

प्रतिलिपि —

1. प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश।
2. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं, मध्यप्रदेश।
3. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
4. कलेक्टर समस्त जिले मध्यप्रदेश।

मिशन संचालक, एन.एच.एम.
मध्यप्रदेश